कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रॉक 664/14-1 एटा, दिनाँक, 24/09/2018

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर
एस्सार आयल लिमिटेड
ए–5 सेक्टर–3,
नोयडा।

विषयः एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85) कि0मी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम–निधौली खुर्द के खसरा सं0 999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0974 हे) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पतान के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य के पत्रांक 8 बी/यू0पी0/06/2016/एफ0सी0/106 दिनांक 11.05.2018

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण में सन्दर्भित पत्र द्वारा 1 से 12 शर्तों के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, दी गई शर्तों के क्रम में आपसे निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–

शर्त सं0 1 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मु0 रू0 116000/–(एक लाख सोलह हजार) मात्र की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से जनरेट ई चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

शर्त सं0 2 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के फलस्वरूप दुगने अवनत भूमि पर अर्थात 0.150056 हे0 पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव की धनराशि मु0 67100/– (सड़सठ हजार एक सौ मात्र) की धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से जनरेट ई चालान के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

शर्त सं0 3–(क) एन0पी0वी0 की धनराशि मु0 रू0 46968/ (छियालीस हजार नौ सौ अड़सठ) मात्र की धनराशि ई पोर्टल से जनरेट ई0 चालन के माध्यम जमा कराना सुनिश्चित करें।

शर्त सं0 3–(ख) जमा की गई धनराशि की आनलाइन ई0 रसीद (मदवार विवरण अंकित हो) प्रस्तुत करें।

शर्त सं0 3–(ग) यदि एन0पी0वी0 की दर में बढो़त्तरी होने पर बढी़ हुई धनराशि यूजर एजेन्सी द्वारा जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता।

शर्त सं0 4 विधिवत् स्वीकृत जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन यूजर एजेन्सी के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश व देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forwrad) एवं पीछे (Backward एवं उनकी दिशा (Beaing) लिखने सम्बन्धी बचन बद्धता।

शर्त सं0 5 यूजर एजेन्सी द्वारा पैट्रोल पम्प में में प्रवेश व निकास के मध्य की भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं उसे संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका

सीमाकंन 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर किये/जाने सम्बन्धी वचनवद्वता।

शर्त सं0 6 यूजर एजेन्सी द्वारा पेट्रोल पम्प की चार दीवारी से 15 मी0 दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम आच्छादन वाले वृक्षों का 1 से 1.5 मी0 के अन्तराल पर रोपण किये जाने सम्बन्धी बचनवद्वता।

शर्त सं0 7 यूजर एजेन्सी द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये पेट्रोल पम्प के लोकेशन को दर्शाने वाले साइन बोर्ड/मार्किंग समुचित स्थान पर लगाये जाने सम्बन्धी वचन बद्धता।

शर्त सं0 8 यूजर एजेन्सी द्वारा पेट्रोल पम्प सामान्य रेस्ट एरिया काम्पलेक्स जिसमें सभी जन सुविधायें यथा पर्किंग, शौचालय आदि उपलब्ध हो का हिस्सा होना चाहिए। यूजर एजेन्सी द्वारा भवनों के निर्माण की पूर्ण तैयार की जायेगी जिससे मार्ग के किनारे वृक्षारोपण को न्यूनतम क्षति पहुंच सके।

शर्त सं0 9 यूजर एजेन्सी द्वारा विधिवत स्वीकृत से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन न करने सम्बन्धी बचनवद्वता।

शर्त सं0 10 यूजर एजेन्सी द्वारा वर्तमान व भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने सम्बन्धी वचनबद्धता।

दि017-9-18

शर्त सं0 12 उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 3022/14-2-2018-800(39)/2016 के निर्देशों के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 29.01.2018के बिन्दु सं0 'B' (i) के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि के समतुल्य रू0 46968.00 की जुर्माना धनरशि ई-पोर्टल के माध्यम से जनरेट ई-चालान के द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें।

उक्त शर्तों की अनुपालन आख्या व अभिलेख शीघ्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक / समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।